रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934
No. 1343] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1610(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 113(अ), तारीख 6 फरवरी, 1998 और का.आ. 2427(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2009, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के क्रमशः 149.800 कि.मी. से 166.000 कि.मी. (अमरावती बाईपास सेक्शन) और 100.000 कि.मी. से 149.800 कि.मी. एवं 166.000 कि.मी. से 166.725 कि.मी. (तालेगांव - अमरावती सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

और प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में मैसर्स आईआरबी तालेगांव -- अमरावती टोलवे प्रायवेट लिमिटेड, जो 25.06.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है , और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आईआरबी कॉम्पलेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली विलेज, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई-400072 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के तालेगांव - अमरावती सेक्शन के विकास के लिए 100.00 कि.मी से 166.725 कि.मी. और प्रचालन और अनुरक्षण के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है), चार लेन के विभाजित कैरिजवे के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,

1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु कुल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर फीस (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और सारणी 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उद्गृहीत और संग्रहीत की जाएगी, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में विनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक फीस का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन(एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा)					
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रू० में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	विशाल आकार यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

टिप्पण :-

1. इसके अधीन उद्गृहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगी।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. म) जिसके लिए फीस संदेय है**
142.800 कि.मी. (नन्दगांव पेठ गांव के पास) एन.एच - 6	49.30

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (लों) बाइपास (सों) / संरचना (ओं) के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, की फीस भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगी :

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लम्बाई(कि.मी. में) और बाइपास / संरचना की लागत (करोड़ रूपये में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई	लागत
142.800 कि.मी. (नन्दगांव पेठ गांव के पास) एन.एच - 6	17.43 कि.मी	95.09 करोड़ रुपये

3. वर्ष 2012- 13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात हेतु मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रुपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण औरं संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि

एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर फीस का संदाय करना होगा जो उनसे अगले उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6 यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7 उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को संप्रदर्शित किया जाएगा ।

8 फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु यह कि पुनरीक्षण छ: मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा ।

[फा. सं. भारारापा/13013/563/10-11/सीओ/जीसी-अमरावती (100.000-166.725) बीओटी]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

टिप्पण :- यह अधिसूचना , वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, *भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 153 (अ), तारीख 30 जनवरी 2004 के अधिक्रमण में* उन बातों के सिवाय है *जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व* किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O. 1610(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Mi*nistry of Road Transport and Highways* number S.O. 113 (E), dated the 6th February, 1998 and S.O. 2427 (E) dated the 22nd September, 2009 , issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 149.800 to kilometer 166.000 (Amravati bypass section) Kilometer 100.00 to Kilometer 149.800 and Kilometer 166.000 to Kilometer 166.725 (Talegaon – Amravati section) of National Highway No. 6 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s IRB Talegaon – Amravati Tollway Private Limited, having its registered office at IRB Complex, Chandivali Farm, Chandivali Village, Andheri (East) Mumbai-400072, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 25.06.2009 for the development of Talegaon – Amravati section from Km 100.00 to Km 166.725 on National Highway No. 6 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridge/structure/bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

2640 GI/12-2

TABLE-2

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV (Three to Six Axles)**	**Oversized Vehicle (Seven or more Axles)**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 142.800, near Nandgaon Peth village on NH-6	49.30

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/bypass(es)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass/ structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 142.800, near Nandgaon Peth village on NH-6	17.43 Km	Rs.95.09 crore

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provide that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/563/10-11/CO/GC-Amravati (100.000-166.725) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

Note: This notification from the date of commercial operation or publication of this notification in the official gazette whichever is later, is in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 153(E), dated the 30th January, 2004 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.